

आवंटनादेश

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह,
निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण-
सह-श्रमायुक्त बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव।

पटना, दिनांक:- 15.3.19

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड -26- 2230011010108) के अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-3386 दिनांक-14.05.18 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 में 31 मार्च 2019 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है-

कार्यालय का नाम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
श्रमायुक्त का कार्यालय	20-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत 0108.20.02 कांफ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार	12000	संयुक्त श्रमायुक्त के गै.स.प्रे.सं.-92(श्रम पक्ष) दिनांक-14.03.19 एवं श्रमायुक्त के सचिव के पीत पत्र संख्या-556/SLC dt-14.3.19 के आलोक में ।
	20-अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत 0108.20.03 प्रशिक्षण व्यय	300000	संयुक्त श्रमायुक्त के गै.स.प्रे.सं.-89(श्रम पक्ष) दिनांक-13.03.19 एवं श्रमायुक्त के सचिव के पीत पत्र संख्या-556/SLC dt-14.3.19 के आलोक में ।
कुल राशि		312000	

कुल आवंटित राशि ₹ 3,12,000/- (₹ तीन लाख बारह हजार) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि0 दिनांक-28.03.18, 3244/वि0 दिनांक-4.5.18 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से सभी प्रकार की विपत्रों की जाँच नियमानुसार करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय। भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता की सारी जिम्मेवारी आप पर होगी।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे ।
- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.18 के आलोक में CFMS Software से निर्गत न कर मैनुअली निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

₹/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण
-सह-श्रमायुक्त बिहार ।

ज्ञापांक-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Eo/-
(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण

-सह-श्रमायुक्त बिहार।

पटना, दिनांक-

15-3-19

ज्ञापांक-6/एफ1-304/18 श्र0सं0-

168

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संयुक्त श्रमायुक्त एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-92 एवं 89 (श्रम पक्ष) क्रमशः दिनांक-14.03.19 एवं 13.03.19 एवं श्रमायुक्त के सचिव के पीत पत्र संख्या-556/SLC dt-14.3.19 के आलोक में /लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगित प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)

निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण

-सह-श्रमायुक्त बिहार।